कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1518 /एटा/22374/2016, दिनांक, लखनऊ, दिसम्बर 04 , 2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त,
अलीगढ़।

विषय : एटा में अलीगढ़–कानपुर सेक्शन (एन0एच0–91) किमी0 186 से 229 तक 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 65.495 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4940 वृक्ष व 858 पौध **कुल 5798 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति।**

सन्दर्भः आपका पत्रांक–1728/14–10, दि0 23.11.2017
इस कार्यालय का पृष्ठांकन पत्रांक–47/गाइडलाइन, दि0 07.07.2017

महोदय,

विषयगत प्रस्ताव आपके कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा दिये गये निर्देशों का गम्भीरता से संज्ञान न लिये जाने के कारण प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचनायें एवं अभिलेख पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

1– प्रस्तावित स्थल की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है। ऑनलाइन पार्ट–2 पर अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

2– प्रस्तावित वनभूमि की गणना में विद्यमान R.O.W., विद्यमान मार्ग, प्रस्तावित वनभूमि एवं चौड़ीकरण के उपरान्त अवशेष संरक्षित वनभूमि की चैनेजवार गणना अंकित नहीं है। संशोधित गणना ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

3– परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न नहीं है। सत्यापित प्रति ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

4– ऑनलाइन पार्ट–2 पर अपलोड बाधक वृक्षों की संख्या 4923 है किन्तु परियोजना में बाधक 4940 वृक्षों व 858 पौधों का विवरण संलग्न है। जो विसंगतिपूर्ण है। स्थिति स्पष्ट करते हुए ऑनलाइन व आफलाइन संशोधित करने का कष्ट करें।

5– प्रमाण–पत्र की रंगीन छायाप्रति संलग्न है। ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–के–1(ए) पर अपलोड जिलाधिकारी के प्रमाण–पत्र पर पत्रांक व दिनांक अंकित नहीं है।

6– वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का मूल प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ न संलग्न कर रंगीन छायाप्रति संलग्न की गयी है, जो सुसंगत नहीं है। मूल प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

7– प्रस्तावित स्थल की Kml file प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।

8– मार्ग चौड़ीकरण का एक Liner Plan जिसमें विद्यमान R.O.W., प्रस्तावित R.O.W. एवं चौड़ीकरण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु अवशेष वनभूमि को मीटर में दर्शाया गया हो, प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है। ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

9– ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–ए–1(xvii) में अपलोड पावर आफ अटार्नी में आवेदक का नाम अंकित कर व हस्ताक्षर प्रमाणित कर अपलोड नहीं किया गया है, न ही प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।

10– ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–13–1 के क्रमांक–3 व 4 पर अपलोड के0एम0एल0 फाइल खुल नहीं रही है। अपलोडेड पालीगन को पेन्ट किया गया है, जिससे उक्त स्थल की वनावरण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। संशाधित कर पुनः ऑनलाइन अपलोड करें व Kml file प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

11– उक्तानुसार सूचनाओं/अभिलेखों को पूर्ण कर प्रस्ताव पर पृष्ठ संख्या व तद्नुसार विषय–सूची अपडेट कराने का कष्ट करें।

उक्त के अतिरिक्त इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा आपको प्रेषित किये गये हैं। अतः उक्त का भी गम्भीरता से संज्ञान लेते हुए प्रस्ताव को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ तीन दिन में इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं समस्त सूचनाओं व अभिलेखों को ऑनलाइन एवं आफलाइन पूर्ण कर त्रुटिरहित पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1518 / ,उक्त दिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, एटा को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार त्रुटिरहित संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, अलीगढ़ को 03 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना/अभिलेख प्रभागीय निदेशक, एटा को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Q